

प्रेषक,

वलधिनन्दर कुमार  
तयिव,  
उ०प्र० राजन।

सेवा में,

1-निदेशक,

महिला कल्याण,

उ०प्र० लखनऊ।

2-निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुस्तकालय,

उ०प्र० लखनऊ।

3-प्रबन्धा निदेशक,

उ०प्र० महिला कल्याण निगम लि०,

गोमती नगर, लखनऊ।

4-तयिव,

सपाज कल्याण बोर्ड, उ०प्र०,

बाला मंदिर, कैतरबाग, लखनऊ।

5-तदस्य तयिव,

उ०प्र० निबंधन बोर्ड,

गोती मडल, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

लखनऊ:: दिनांक:: 12 सितम्बर, 1966

विषय:- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वैच्छिक संस्थाओं से विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के अग्रसारण की प्रक्रिया का निर्धारण।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत तमस्त शासनादेशों को अवकृति करते हुए पूरे ध्यान देने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं महिलाओं के आय-उत्पादक कार्य-कलाप गृह करने योग्य बनाने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों/अर्ध सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से शक्ति सम्पन्न बनाना है तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाना।

2- भारत सरकार के निर्देशानुसार तत्काल योजनाओं के प्रस्तावों को माइड लाई/कलिसट के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरान्त भारत सरकार संस्तुति सहित अग्रसारित